मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 16719/22/वि–12/FA/सरकुलर/2017 भोपाल, दिनांक 12/7/2017

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई............................
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
जिला .... (म.प्र.)।

विषयः–वर्षा से होने वाले मार्गो की क्षति बाबत।

––00––

PMGSY के निविदा प्रापत्र के अनुच्छेद–13 में कार्य की "स्टार्ट डेट" से कार्य पूर्ण होने तक तथा कार्य पूर्ण होने की दिनांक से Defect Liability Period समाप्ति की दिनांक तक इशोरेंस कवर निम्नानुसार लेने का प्रावधान है;

(a) Loss of or damage to the Works, Plant nad Materials.
(b) Loss of or damage to Equipment.
(c) Loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the contract.
(d) Personal injury of death.

अनुच्छेद–12 के अनुसार सभी रिस्क जिसमें, दैविक आपदा से होने वाली क्षति भी सम्मिलित है, के लिए ठेकेदार उत्तरदायी है अतः यदि अतिवर्षा के कारण मार्गो/पुलों को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार को अपने व्यय पर सुधार/अनुरक्षण करना होगा तथा इस पर होने वाला व्यय वह इंशोरेन्स कम्पनी से क्लेम कर सकता है यदि ठेकेदार द्वारा इंशोरेन्स नहीं करया गया है तो इस प्रकार होने वाली कोई भी क्षति उसे स्वयं वहन करनी ही पड़ेगी।

यद्यपि अनुबंध में यह प्रावधान है कि ठेकेदार स्टार्ट डेट से पहले इंशोरेन्स की पालिसी की एक प्रति इंजीनियर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा लेकिन देखने में यह आया है कि ठेकेदार बिना इंशोरेन्स पालिसी प्रस्तुत किए ही कार्य प्रारंभ कर देते है तथा कई बार अंत तक बीमा नहीं कराते है। ठेकेदारों के ध्यान में यह बात लाना आवश्यक है कि बीमा न कराने की स्थिति में अतिवर्षा के कारण यदि कोई क्षति होती है तो सुधार/मरम्मत उन्हें स्वयं के व्यय पर करना होगा अतः जिन ठेकेदारों ने अभी तक बीना पालिसी प्रस्तुत नहीं की है उनहें निर्देशित किया जाय कि बीमा कराकर पालिसी प्रस्तुत करें अन्यथा वर्षा से मार्गो को होने वाली क्षति का सुधार उन्हें स्वयं के व्यय पर करना पड़ेगा।

कुछ महाप्रबंधकों द्वारा ठेकेदारों द्वारा बीमा पालिसी प्रस्तुत न करने के कारण अपने स्तर से बीमा की संकेतिक राशि काट ली जाती है जो पर्याप्त नहीं है तथा इससे ठेकेदार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है अतः भविष्य में अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार से वांछित राशि की बीमा पालिसी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

7/7/17

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल

पृ.क्रमांक 16720/22/वि–12/FA/सरकुलर/2017 भोपाल, दिनांक 10/7/2017

प्रतिलिपिः–

समस्त मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

7/7/17

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल